

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....128/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 02/05/2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार सुश्री स्वाती रघुवंशी षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा का स्थानांतरण अन्य जिला स्थापना होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक-73 दिनांक-30.04.2025 के अनुक्रम में श्रीमती रश्मी बागरी की पदस्थापना तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के पद पर होने के फलस्वरूप कार्यालय विविध आदेश क्रमांक-123 दिनांक-30.04.2025 को निरस्त किया जाकर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय)	1. Civil Suit A+B No. 01 to 493 2. Execution A+B No. 01 to 43 3. Civil MJC No. 01 to 60 4. UNCIV No. 01 to 11	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

o/c

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....2341/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 02/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।

2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा

3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।

✓ 4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)